दिल्ली के श्रमिक वर्गों के आश्रय का अधिकार और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए मांगों का घोषणा पत्र!!

जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक अमानवीय आदेश पारित किया जिसमें 48,000 घरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया थातब से रेलवे पटरियों के किनारे झुग्गियों में रहने वाले, काम करने वाले गरीब, छात्र, युवा और नागरिक आदि इस फरमान का विरोध कर रहे हैं। कई कानूनी विद्वानों और वकीलों ने बताया है कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और उसकी मनमाना हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा जो वे खुद कहा है कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और उचित पुनर्वास के बिना कोई तोड़ फोड़ नहीं हो सकता। आदेश ने मनमाने ढंग से यह भी निर्देश दिया कि कोई अन्य अदालत इस आदेश पर रोक नहीं लगा सकती। न्यायालय अपना आदेश पारित करने से पहले झुग्गीवासियों की सुनवाई भी नहीं की। रेल मंत्रालय ने सुनवायी के दौरान प्रदूषण का दोष झुग्गियों में काम करने वाले गरीबों पर लगाया। आदेश पारित होने के बाद भी मोदी सरकार ने एक भी शब्द नहीं बोला भले ही यह आदेश इस महामारी में झुग्गीवासियों के लिए बुरा सपना और हताशा करने वाली स्थिति बना दी हो।

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में झुग्गियों वासियों के विरोध में बाहर आने के बाद ही आदेश के विरोध में दिल्ली सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया लेकिन मलिन बस्तियों नांगलोई सुल्तानपुरी जैसे इलाकों में रेलवे ट्रैक के किनारे के झुग्गियों को तोड़ना शुरू हो चुका हैं। जब कि आदेश कोसुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है । रेल मंत्रालय ने केवल यह कहा कि जबतक सरकार आपस में पूरी तयारी नहीं कर लेती 4 सप्ताह तक कोई विध्वंस नहीं होगा। सरकार अभी झुग्गियों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और ना ही झुग्गी में रहने वाले के लिए अभी कोई ख़ास तयारी है। यह छलावा के सिवा कुछ भी नहीं है।

दिल्ली के सीएम ने दिल्ली विधानसभा में यह भी कहा है कि झुग्गियों के निवासियों को उसके वर्तमान निवास स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर बसाया जाएगा। सीएम का यह बयान स्वागत योग्य है।कोरोनावाइरस और कई चुनौतियों के बावजूद झुग्गीवासियों द्वारा शुरू किए गए निरंतर आंदोलन के कारण सीएम का यह केवल बयान आया है। हमें उम्मीद है कि सीएम ने पूरी ईमानदारी से एक प्रतिबद्धता जाहिर की है न कि एक खोखले राजनीतिक के रूप में बयान।

14 से 16 अक्टूबर तक सीपीआई-एमएल ने वजीरपुर रेलवे ट्रैक के बगल के झुग्गियों के लोगो के साथ 48 घंटे की चेतावनी भूख हड़ताल शुरु की थी जो बेदखली के वास्तविक खतरे से जूझ रहे हैं। भूख हड़ताल का मकसद

दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को यह संदेश भेजना था कि झुग्गी निवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे चाहे स्थिति जितनी चुनौतीपूर्ण हो जाय।हम अपनी चेतावनी भूख हड़ताल समाप्त करते हैं झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के अधिकारों के लिए मांगों का चार्टर जारी कर रहे हैं। हम इस चार्टर के साथ दिल्ली की सभी मलिन बस्तियों में प्रचार करेंगे जिसे तोड़े जाने के खतरे का सामना कर रहे हैं।

<u>हमारी माँग है:</u>

1. उचित पुनर्वास के बिना कोई विस्थापन नहीं। आश्रय का अधिकार प्रत्येक भारत के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। मेहनतकश स्लम वासी शहर को चलाते है। ऐसे में उनके अधिकारों और गरिमा को किसी भी कीमत पर संरक्षित होनी चाहिए।
2. वर्तमान निवास स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर कोई भी पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। यह 2015 की DUSIB पॉलिसी में बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी गया है। यह उन लोगों की आजीविका की रक्षा करेगा जो मलिन बस्तियों में रहते हैं। जैसा कि सुझाव दिया गया है उन्हें दूर स्थानों पर शिफ्ट करना उनके लिए आर्थिक लूट साबित होगा क्योकि उनकी आय के स्रोत जो वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारण बहुत कम हैं।केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को इस नीति का पालन करना चाहिए।
3. उन परिवारों की सही संख्या का पता लगाने के लिए एक ताजा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जो रेल के पटरियों आसपास रह रहे हैं। यदि पुनर्वास पुराने सर्वेक्षण के आधार पर होता है, तो कई झुग्गी-झोपड़ी के निवासी बेघर हो जाएंगे।
4. दिल्ली सरकार और मोदी सरकार को CJI को झुग्गीवासियों को इस मामले में पार्टी बनाने के लिए कहना चाहिए और सुप्रीम कॉर्ट के 31 अगस्त के आदेश को संशोधित करने की अपील करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित पुनर्वास के बिना कोई विध्वंस नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस आदेश को मिसाल के रूप में उद्धृत किया जा सकता है और भविष्य में विध्वंस को बिना पुनर्वास के आदेश दिया जा सकता है।
5. भारत सरकार और रेल मंत्रालय को सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी चाहिए कि वे किसी भी झुग्गी को नहीं गिराएंगेजब तक कि सभी झुग्गियों में रहने वालों को 5 किलोमीटर के भीतर बसाया नहीं जाता।
6. दिल्ली सरकार को उस प्रतिबद्धता के साथ खड़ा होना चाहिए जिसने यह निर्णय लिया है कि कोई भी निष्कासन नहीं होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 2015 के डीयूएसआईबी नीति के अनुसार सभी झुग्गीवासियों को फिर से बसाया जाएगा।

चुनावों के दौरान भाजपा और मोदी ने ' जहां झुग्गी वहीं मकान' का नारा दिया था, लेकिन अब जब झुग्गी निवासी एक आसन्न खतरे का सामना कर रहे हैं वही मोदी सरकार अधिकारों की रक्षा करने में कहीं नहीं दिखती है। वजीरपुर से सहदरा तक शहर भर के मजदूर व गरीब रह रहे हैं, उनके अधिकारों को छीनना और उनका विरोध करना जारी है। दिल्ली की सरकारें अगर झुग्गियों में रहने वालों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में विफल रहते हैं तो मोदी और केजरीवाल दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

द्वारा

भाकपा **माले-**

दिल्ली राज्य कमिटी